6/8/19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। अपीलांट सं० 1 दीपाराम उपस्थित। रेस्पोण्डेंट सं० 1 के सम्मन इनके बेटे, जो उनके साथ रहता है से तामील होकर प्राप्त हुए हैं लिहाजा इसे सम्मन तामील में शुमार किया जाता है। रेस्पो० 5/1 से 5/4 पर सम्मनों की सम्मन तामील है जो रजिस्टर्ड A'D से / व्यक्तिश: तामील से रिपोर्ट होकर है। इन्हें भी सम्मन सम्यक तामील हुए फिर भी रेस्पो सं. 1, 5/1 से 5/4 अनुपस्थित है इसलिए इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष के उपस्थित पक्षकार / प्रतिनिधि को भी व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अपीलार्थीगण ने बताया कि इस जोत विभाजन से पक्षकारों में से कुछ का कब्जा प्रभावित हो रहा है। भीमाराम की रहवासी ढाणी इनको प्रदत्त भूमि में से बाहर होकर दीपाराम वगैरह के हिस्से में आ रही है। उभय पक्ष इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। इस दृष्टि से विभाजन प्रस्ताव सही एवं सटीक नहीं है। वह पक्षकारों के हक-हिस्से अनुसार

(वकील अपीलांट)

दीपाराम (अपीलांट 1)

(वकील रेस्पो. 2 से 3)

हिम्मताराम

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कब्जे की भूमि के अनुरूप होने चाहिए। उक्त पक्ष द्वारा न्यायालय को बताये नजरी नक्शे के अनुसार प्रत्येक पक्ष का कब्जा जिस रूप में है उसी अनुरूप विभाजन किया जाना स्वीकार किया। और विभाजन के वक्त रास्ते का भी प्रस्ताव आलोच्य निर्णय में प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के तहत प्रावधान नहीं रखा गया है लिहाजा विभाजन प्रस्ताव सही नहीं होने से अपास्त किया जाना न्यायोचित है। रास्ते की भूमि सभी पक्षकारों के लगभग एक-हिस्से के अनुपात में सामलाती रूप से रखी जानी भी आवश्यक है। उभय पक्ष द्वारा प्रकट किये गए नक्शों एवं रास्ते के प्रावधान को रखे जाने पर भी सहमति दी है जिसे स्वीकार करना न्यायोचित है। विभाजन इस प्रकार हो कि भीमाराम की ढाणी उनके एक-हिस्से में ही दी जावे। दीपाराम के एक-हिस्से वाली जितनी भूमि भीमाराम के हिस्से में डाली जावे उतनी उनके हिस्से में से दीपाराम को मिल जावे। शेष 2 पक्ष का कब्जा वास्तव मौके रूप में नहीं होना स्वीकार किया गया। तीन पक्षों की भूमि 2.15 बीघा हिस्से में है जिनमें से प्रत्येक के हिस्से की 01 बिस्वा भूमि तथा शेष दीपाराम वगैरह के पक्ष की 10.14 बीघा भूमि में से 3 बिस्वा भूमि लेते हुए कुल 6 बिस्वा भूमि सामलाती रूप से रास्ते के लिए रखी गई है। इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय प्रभावित और दूषित होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। विभाजन प्रस्ताव उपरोक्तानुसार नये सिरे से तैयार कर "परिशिष्ट अ" के रूप में पत्रावली में रख गया है जो इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज कर प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य उभय पक्ष के साथ किये गए विचार-विमर्श एवं उनकी सहमति के संदर्भ में ग्राम सिवाना के खाते सं० 1242 रकबा 18.19 बीघा बा० कि० लगान 12.32 रु० का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है-

क्रमांक	नाम खातेदार मय वल्दियत	ख० नं०	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान (रु०)
01	नैना तारा सांवल कालू पि० मोडाराम कौम पुरोहित सा० देह खातेदार रहन SBBJ ADM सिवाना	1242	2.14	बा० कि०	1.75
02	भीमा वल्द बोला कौम पुरोहित सा० देह खातेदार रहन SBBJ ADB सिवाना	1242	2.14	बा० कि०	1.75
03	भीकाराम वल्द चतरींग कौम पुरोहित सा० देह खातेदार	1242	2.14	बा० कि०	1.75
04	दीपाराम जेठाराम पि० मानाराम हि० 1/2 कुंदरदेवी पत्नी दीपाराम सुकीदेवी पत्नी जेठाराम आसीदेवी पत्नी आशुराम हि० 1/2 कौम पुरोहित सा० देह खातेदार रहन SBBJ ADB सिवाना में दीपाराम जेठाराम आशुराम का हिस्सा	1242	10.11	बा० कि०	6.58
05	नैना तारा सांवल कालू पि० मोडा 1/7 दीपाराम जेठाराम आशुराम पि० मानाराम 1/7 कुंदरदेवी पत्नी दीपाराम सुकीदेवी पत्नी जेठाराम आसीदेवी पत्नी आशुराम हि० 1/7 भीमा वल्द बोला 1/7 भीकाराम वल्द चतरींग 1/7 कौम पुरोहित सा० दे० खातेदार रहन SBBJ ADM सिवाना में दीपाराम, आशुराम, भीमा जेठाराम का हिस्सा	1242	0.06	बा० कि०	0.49

प्रयोजनानुसार हिस्सा बरंग संलग्न "परिशिष्ट क" में दर्शित अनुसार रहेगा। तहसीलदार सिवाना उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर बहुत नंबर देते हुए पुख्ता तरमीम करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … अहका… हुक्म के… में जारी…
राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	निर्णय बरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर (RAA)

अपील सं० 49/2018 U/s 223 RTA

दीपाराम वगै० बनाम नेनाराम वगैरह

निर्णय दि० 06/08/2019

परिशिष्ट "अ"

Siwana, Siwana

Khasra No - 1242.
Scale = 1" = 80 Gatta OR 201.17 METERS
Distance - Metre

अपील नं 49/2018
RAA बाड़मेर
निर्णय दिनांक 06/08/19

रकबा (बीघा में)	संकेत	
2.14	(हरा)	→ भीखाराम पु. चतराराम
2.14	(लाल)	→ नेनाराम कौरा पि. मंछाराम
10.11	(नीला)	→ दीपाराम कौरा पि. मानाराम वगै.
2.14	(काला)	→ भीमाराम पु. नेनाराम
0.06	(पीला)	→ नेनाराम कौरा संयुक्त (रास्ता हेतु)

जोत विभाजन निर्णय आदेशिका दिनांक 6/8/19 का अभिन्न अंग/

6/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

...rmer\Tshsil SIWANA\Siwana\Khasra\1242.DWG

Print Date 8/6/2019 7:23 PM

Scanned by CamScanner